



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

E.mail : ar.affiliation@ccsuniversity.ac.in NAAC A++

Website :

www.ccsuniversity.ac.in

पत्रांक:-सम्बद्धता / ११२२ / 2026-27

दिनांक : 18.08.2026

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

विषय:- उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रावासों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के संलग्न पत्र संख्या-832/सत्तर-3-2026-2082199 दिनांक 18 अगस्त, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो कि उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रावासों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा है कि आप अपने-अपने महाविद्यालय/संस्थानों में निर्मित छात्रावासों के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये प्रारूप पर वांछित सूचना प्रत्येक कार्यदिवस में समय अपराहन 01:00 बजे तक कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की ई0मेल आई0डी0 Registrar@ccsuniversity.ac.in पर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय


कुलसचिव 18/8/26

प्रतिलिपि:-

01. वैयक्तिक सहायक कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. मुख्य छात्रावास अधीक्षक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे विश्वविद्यालय परिसर में स्थित छात्रावासों के सम्बन्ध में सूचना कुलसचिव कार्यालय को प्रत्येक कार्यदिवस में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
03. प्रभारी प्रैस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
04. प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाइट चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

कुलसचिव

प्रेषक,
शकील अहमद सिद्दीकी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।
3. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

2. निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0, प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 18 अगस्त, 2026

विषय: उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रावासों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में स्थापित छात्रावासों के नियमित निरीक्षण करने के निर्देश शासन स्तर से पूर्व में दिए गए हैं।

2- उक्त के क्रम में छात्रावासों में समुचित व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराते हुए गुणवत्तापूर्ण मानकों के अनुरूप सुविधाएँ उपलब्ध कराते हुए छात्रावासों को संचालित किया जाए।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त के क्रम में विशेष अभियान चलाते हुए निरंतर छात्रावासों में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण कराते हुए एवं छात्रों से प्राप्त शिकायतों का निराकरण कर समस्त व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से संचालित करते हुए प्रत्येक कार्यदिवस में अपराह्न 04:00 बजे निर्धारित प्रारूप पर समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों की समेकित सूचना निदेशक, उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रारूप निम्नवत है :-

1 विश्वविद्यालय कैपस 2. राजकीय महाविद्यालय 3. अशासकीय महाविद्यालय 4. स्वयत्तपोषित महाविद्यालय 5. निजी विश्वविद्यालय	कुल छात्रावास संख्या	कुल छात्रावास में अन्तःवासी छात्र	कुल छात्रावास में अन्तःवासी छात्राएँ	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षण आख्या (कमियाँ, बिडिंग, खाना, वॉशरूम, विद्युतीकरण आदि के सम्बन्ध में।)	कुल दैनिक निरीक्षण	शिकायतें (छात्रावास का नाम सहित)	शिकायतों के निवारण हेतु कार्यवाही
योग		छात्रावास में अन्तःवासी छात्र-छात्राओं की कुल संख्या						

भवदीय,

Digitally signed by
शकील अहमद सिद्दीकी
Date: 18-08-2026
18:34:09

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
2. निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने से सम्बन्धित बिन्दुओं पर सूचना निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा निर्धारित समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने से सम्बन्धित बिन्दुओं पर सूचना निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा निर्धारित समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव।